

आर्य समाज, दिल्ली
 पं. २२२२२२
 पं. २२२२२२

पं. १३६ एलआर एक्ट १९५६ में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रहण कार्य
 में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शा में वन व वन सीमा किया जा रहा है जिसमें
 ज्ञात आया कि खसरा नं. ३५
 रकबा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक
 किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल
 रेकर्ड दुरुस्ती के लिए नक्शा में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं
 संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट ०१" को निर्णय का भाग
 घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर

कार्यावाही विवरण

१२०१९

३१/१२